

कार्यालय, अंचल अधिकारी, कोडरमा।

नाम- श्री दिनेश कुमार ठाकुर,
पिता- स्व० रामलखन ठाकुर
सा०- नौवाडीह, कोडरमा।

भूमि खरीद बिक्री अभिलेख सं० 05 / 2015-16


5/8/15

13-1-19-

अन्य समाहर्ता कोडरमा के पत्रांक 77/र० दिनांक 27.01.2015 के आदेश के आलोक में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-लोचनपुर धाना न०-276, खाता सं०-09 से संबंधित भूमि का कच-विक्रय हेतु श्री दिनेश कुमार ठाकुर के द्वारा अनुरोध किया गया है। विन्दुवार प्रतिवेदन निम्न प्रकार है-

1. नई खतियान के अनुसार मौजा लोचनपुर धाना न०-276, खाता सं०-09, प्लॉट न०-1005 रैयती खाले की भूमि है। किस रैयती खतियान में दर्ज है। पंजी-II के पृष्ठ सं०-135/4 में श्री दिनेश कुमार ठाकुर के नाम से जमाबन्दी कायम है।
2. बिक्रेता श्री दिनेश कुमार ठाकुर, साकिन+धाना-गोविन्दपुर, जिला- नवादा (बिहार) हाल मोकाम- लोचनपुर धाना-कोडरमा, जिला- कोडरमा है। आवश्यक प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न है।
3. बिक्रेता की भूमि मजरीदे कोचाला सं०-914 दिनांक 21.02.2009 द्वारा श्री रामलखन प्रसाद, पिता- स्व० कलदा प्रसाद से हासिल हुई है।
4. कोता रामलख ठाकुर, पिता- स्व० नथन ठाकुर, साकिन- गुमो (बरवाडीह) वार्ड सं०-19 शुमरी तिलैया के निवासी है एवं इनकी जमीन नाई (हजाम) है।
5. कोता एवं बिक्रेता दोनों एक ही जिला (वर्तमान) के निवासी है।
6. कोता एवं बिक्रेता दोनों ही पिछला वर्ग के अर्न्तगत आते हैं।

अतः हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर उक्त खरीद का खरीद-बिक्री करने के लिये अग्रतर कार्रवाई हेतु अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता, कोडरमा को भेजे।


अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

आदेश


अभिलेख उपस्थित ।


अंचल अधिकारी, कोडरमा के द्वारा C.N.T. Act की धारा 46 (i) (b) 2nd Provision के अन्तर्गत भूमि का क्रय विक्रय की अनुमति हेतु अभिलेख अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के मौजा-लोचनपुर, थाना नं०-276, खाता संख्या-09, प्लॉट संख्या-1005, रकबा-2.5 डी० रैयती खाते की भूमि है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-134/4 में दिनेश कुमार ठाकुर के नाम से जमाबन्दी कायम है। प्रस्तावित भूमि विक्रेता श्री दिनेश कुमार ठाकुर की कवाला संख्या-814, दिनांक-21.02.2009 के द्वारा श्री रामलखन प्रसाद, पिता-स्व० कौलाश प्रसाद से हासिल है।

विक्रेता श्री दिनेश कुमार ठाकुर, पिता-स्व० रामस्वरूप ठाकुर, साकिन+थाना-मोविन्दपुर, जिला-नवादा (बिहार), हाल मुकाम-लोचनपुर, थाना-कोडरमा, जिला-कोडरमा है एवं क्रेता रामदेव ठाकुर, पिता-स्व० नथन ठाकुर, साकिन-गुमो (बरवाडीह), वार्ड नं०-19, झुमरी तिलैया है। क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक ही जिला के निवासी हैं। अभिलेख में श्री दिनेश कुमार ठाकुर द्वारा आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया है जिसका नम्बर-910662559788 है। अनुमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा का पत्रांक-292, दिनांक-10.03.2010 के द्वारा निर्गत शिक्षण के लिए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र दिनेश कुमार ठाकुर, पिता-राम स्वरूप ठाकुर, ग्राम-लोचनपुर, पो०-कोडरमा, जिला-कोडरमा एवं अंचल अधिकारी, कोडरमा का प्रमाण पत्र संख्या-CST/1301/15/00820 दिनांक-04.03.2015 के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति दाखिल किया गया है। जिसमें जाति नाई अंकित है। अंचल अधिकारी, कोडरमा का प्रमाण पत्र संख्या-RES/1801/15/00122 दिनांक-14.01.2015 द्वारा रामदेव ठाकुर, पिता-स्व० नथन ठाकुर, ग्राम-गुमो बरवाडीह, नाई मुहल्ला, वार्ड नं०-19, पो०-झुमरी तिलैया, थाना-तिलैया, जिला-कोडरमा के नाम स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत है एवं अंचल अधिकारी कोडरमा का प्रमाण पत्र संख्या-CST/1801/15/00111 दिनांक-14.01.2015 के द्वारा रामदेव ठाकुर के नाम जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है जिसमें जाति नाई अंकित है। एवं विक्रेता दोनों जाति नाई (हजाम) हैं जो पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। ~~क्रेता एवं विक्रेता~~ विक्रेता अपनी माँ के इलाज हेतु प्रस्तावित भूमि का विक्री करना चाहते हैं। साथ ही आधार कार्ड की छायाप्रति जिसका नम्बर-736799690556 है, कि छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है।

अतः अंचल अधिकारी, कोडरमा के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर मौजा-लोचनपुर, थाना नं०-276, खाता नं०-09, प्लॉट नं०-1005, रकबा-2.5 डी० भूमि C.N.T. Act की धारा 46 (i) (b) 2nd Provision के अन्तर्गत विक्रय करने की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अंचल अधिकारी, कोडरमा को वापस भेजें।

लेखापित एवं संशोधित,


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
कोडरमा


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
कोडरमा।